समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला आपूर्ति शाखा)

आदेश

बिहार सरकार, खाद्य एवं उभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र सं0–प्र0–6विविध–03/10–5257/खाद्य/23.08.2012 के द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से लाभूक परिवारों को खाद्यान्न/किरासन तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में खाद्यान्न दिवस आयोजित करने का निदेश प्राप्त है। विभागीय पत्र– पत्रांक प0–6–विविध–03/2010–2742/खाद्य/दिनांक–21.04.20111 के द्वारा खाद्यान्न उठाव के संबंध में फूड कैलेण्डर उपलब्ध कराया गया है।

जिला आपूर्ति कार्यो की समीक्षा में पाया गया है कि कतिपय भारतीय खाद्य निगम से उठाव/राज्य खाद्य निगम से खाद्यान्न उठाव/पी0 डी0 एस0 दुकान तक खाद्यान्न की आपूर्ति एवं लाभूकों के बीच खाद्यान्न वितरण में समरूपता नहीं रहती है। जिसके चलते विधिवत् खाद्यान्न उठाव/वितरण के समय/अवधि निर्धारित नहीं होने के चलते प्रभावकारी निरीक्षण/पर्यवेक्षण नहीं हो पाता है। खाद्यान्न उठाव तथा लाभूकों के बीच खाद्यान्न वितरण प्रभावकारी पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण करने के उद्येश्य से निम्नांकित वर्णित फूड कैलेण्डर इस जिला के लिए निर्धारित किया जाता है–

क्रमांक	तिथि/अवधि	कार्यक्रम	अनुपालन का दायित्व
1	2	3	4
1	आवंटन माह के पूर्ववर्ती माह के पूर्व माह के अंतिम सप्ताह मे।	आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा ज0 वि0 प्रणाली विक्रेताओं को आवंटन आदेश जारी करना।	अनुमण्डल पदाधिकारी/ प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी
2	आवंटन माह की पूर्ववर्ती माह की 10 वीं तिथि तक।	आवंटित खाद्यान्न के उठाव हेतु ज0 वि0 प्र0 विक्रेताओं द्वारा रा0 खा0 निगम को खाद्यन्न का मूल्य जमा करना।	अनुमण्डल पदाधिकारी/आपूर्ति पदाधिकारी/जन वितरण प्रणाली विक्रेता
3	आवंटन माह की पूर्ववर्ती माह की 15 वीं तिथि तक	ज0 वि0 प्र0 विक्रेताओं द्वारा जमा किये गये राशि के विरूद्ध उठाव हेतु रा0 खा0 निगम द्वारा विक्रेताओं को भंडार निर्गमादेश (S.I.O) जारी किया जाना	जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम
4	आवंटन माह की पूर्ववर्ती माह की 20 वीं तिथि तक	राज्य खाद्य निगम द्वारा भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न का विमूक्ति ओदश (R.O) क्रय करना	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम
5	आवंटन माह की पूर्ववर्ती माह की पहली तिथि से आवंटन माह की 20 वीं तिथि तक	भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से राज्य खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न उठाव करना	जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला प्रबंधक/गोदाम प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम
6	आवंटन माह की पहली तिथि से 20 वीं तिथि तक	राज्य खाद्य निगम द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को खाद्यान्न की आपूर्ति करना	जिला प्रबंधक/गोदाम प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम
7	आवंटन माह के 25 वीं तिथि से 30 वीं तिथि तक	जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा लाभूकों के बीच उचित दर तथा मात्रा में खाद्यान्न का वितरण करना	अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/जन वितरण प्रणाली विक्रेता/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/वरीय पदाधिकारी/प्रखण्ड के प्रभारी पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी

(2) फूड कैलेण्डर से विचलन किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में जिला पदाधिकारी की अनुमति से हीं फूड कैलेण्डर की निर्धारित अवधि से विचलन मान्य होगा।

(3) प्रत्येक जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के द्वारा लाभूकों के बीच खाद्यान्न वितरण "खाद्यन्न सप्ताह" (प्रत्येक माह के 25 तारीख से 30 तारीख के बीच) के दौरान हीं किया जाएगा।

(4) फूड कैलेण्डर का विस्तृत प्रचार–प्रसार करने की जिम्मेवारी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 652/ दिनांक 24 / 08 / 2016

प्रतिलिपि–	सभी ज0 वि0 प्र0 विक्रेता मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–	सभी डोर स्टेप डिलेवरी अभिकर्त्ता एवं मुख्य परिवहन अभिकर्त्ता को सूचनार्थ एवं अनुपालननार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–	क्षेत्र प्रबंधक एफ0 सी0 आई0 सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–	Lifting Officer CWC को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–	सभी सहायक गोदाम प्रबंधक/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–	सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–	जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–	वरीय प्रभारी पदाधिकारी (प्रखण्ड) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–	उपविकास आयुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि–	जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई–मेल करने तथा बेवसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक – 652 दिनांक – 24.08.2016

प्रतिलिपि – सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

24/8/16

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
मधेपुरा
24.8.16